न्यायालय अति.जिला कलेक्टर,टोंक

(सुरेश चौधरी, आर0ए0एस0 द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या 06 / 2024

प्रविष्टि दिनांक 01.02.2024

प्रहलाद पुत्र खाना जाति मीणा निवासी चारनेट तहसील नगरफोर्ट जिला टोंक राज.

–अपीलान्ट

बनाम

नायब तहसीलदार धुंवाकला, तहसील नगरफोर्ट जिला टोंक

–रेस्पोडेण्ट

अपील विरूद्ध निर्णय नायब तहसीलदार धुंवाकला दिनांक 16.01.2024
पत्रावली संख्या 177 / 2023

उपस्थिति : (1) श्री जोधराज गुर्जर, अभिभाषक अपीलान्ट
(2) श्री सावंतराम मीना, राजकीय पेरोकार रेस्पोडेण्ट

<u>निर्णय</u> **दिनांक 27.03.2024**

अपील का संक्षिप्त में सार इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार धुंवाकला ने अपने आदेश दिनांक 16.01.2024 के द्वारा अपीलान्ट को भूमि आराजी खसरा नम्बर 5 रकबा 1.00 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 11 रकबा 0.50 हैक्टेयर किस्म जमीन चरागाह वाके ग्राम चारनेट पटवार मण्डल चारनेट तहसील नगरफोर्ट से बेदखल करने, फसल जप्त करने तथा राजस्व लगान 12.00 रू. का 50 गुणा जुर्माना कुल 600 रू. आयद करने तथा पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानकर 90 दिवस के सिविल कारावास की सजा से दण्डित करने का निर्णय पारित किया है। अपीलान्ट ने नायब तहसीलदार धुंवाकला के उक्त आदेश से व्यथित होकर आदेश को खिलाफ कानून बताते हुए निरस्त किये जाने हेतु अपील प्रस्तुत की है।

प्रकरण प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया एंव तलबी रेस्पोडेण्ट जरिए सम्मन की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। अभिभाषक अपीलान्ट एवं राजकीय पेरोकार की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपनी बहस में अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय का उक्त निर्णय विधि विधान एवं तथ्यों के प्रतिकूल होने से निरस्त किये जाने योग्य हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त निर्णय पारित

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
टोंक

करने से पूर्व कोई नोटिस नहीं दिया और अपीलांट की विधिवत रूप से प्रोपर तामिल नहीं करवायी और बिना तामील के उक्त निर्णय पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को सुनवाई का अवसर नहीं दिया और न ही साक्ष्य सबूत का अवसर दिया गया। बिना साक्ष्य सबूत का अवसर दिए ही अपीलान्ट के विरूद्ध एकतरफा में निर्णय पारित किया है। उक्त निर्णय पारित करने से पूर्व नायब तहसीलदार द्वारा मौका निरीक्षण नहीं किया और न ही मौके की वास्तविक वस्तु स्थिति की रिपोर्ट तलब की गई और बिना मौके पर गये निर्णय पारित किया है जबकि विधि अनुसार निर्णय पारित करने से पूर्व नायब तहसीलदार को मौके पर जाकर मौका निरीक्षण कर यह भली भांति साबित होने के बाद कि उक्त भूमि पर अपीलान्ट का कब्जा है अथवा नहीं, उक्त निर्णय पारित किया जाता। अधीनस्थ नायब तहसीलदार द्वारा निर्णय पारित करने से पूर्व पटवारी हलका से अपीलान्ट को जिरह का अवसर नहीं दिया और पटवारी हलका द्वारा अपीलान्ट का मौके पर उक्त आराजी पर कब्जा नहीं होने के उपरान्त भी दुर्भावना पूर्वक उक्त भूमि के कब्जे की रिपोर्ट की है और उस रिपोर्ट को आधार बनाकर नायब तहसीलदार द्वारा अपीलान्ट को सजायाब करने में गलती की है। तहसीलदार ने एक ही निर्णय के द्वारा अपीलांट को चार सजायें क्रमशः बेदखल करने, फसल जप्त करने, पेनल्टी आरोपित करने, सिविल कारावास की सजा का निर्णय पारित किया है। कानूनन इस प्रकार एक ही निर्णय द्वारा सारी सजाएं एक साथ दिये जाने का प्रावधान नहीं है। उक्त आराजीयात पर वर्तमान में अपीलान्ट द्वारा अपना कब्जा हटा लिया है और मौके पर अब अपीलान्ट का कब्जा नहीं है। इस संबंध में अपीलान्ट द्वारा शपथ पत्र भी पेश कर दिया है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार धुंवाकला का निर्णय दिनांक 16.01.2024 को निरस्त फरमाया जावे।

अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक की बहस का जवाब देते हुए राजकीय पेरोकार ने कथन किया कि अपीलांट को विधि अनुसार जरिये नोटिस तलब किया गया है। नोटिस पर अपीलांट की स्वयं की तामील हुई है व अतिक्रमी अधीनस्थ न्यायालय मे उपस्थित हुआ है। अपीलान्ट ने भूमि आराजी खसरा नम्बर 5 रकबा 1.00 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 11 रकबा 0.50 हैक्टेयर किस्म जमीन चरागाह पर सरसों की फसल काश्त कर अतिक्रमण किया है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह भी ज्ञात होता है कि अपीलान्ट ने उक्त आराजी खसरा नम्बर पर इससे पूर्व भी अतिक्रमण किया था जिसे मिसल संख्या 458/23 से निर्णय पारित किया जाकर बेदखल कर दिया गया था किन्तु अपीलांट ने पुनः उक्त भूमि पर काश्त कर अनाधिकृत कब्जा किया है। अतिक्रमी सरकारी भूमि पर बार बार अतिक्रमण करने का आदी है, उपलब्ध दस्तावेजात से अपीलाण्ट का पश्चातवर्ती अतिक्रमी होना सिद्ध है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय सही एंव उचित है। अतः अपील अपीलांट खारिज की जावें।

हमने अभिभाषक अपीलान्ट व राजकीय पेरोकार की बहस को सुना एवं बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर टोंक

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
टोंक

की पत्रावली का अध्ययन करने से विदित होता है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को नोटिस देकर सुनवाई का अवसर दिया है। अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित होकर अपना अनाधिकृत अतिक्रमण होना स्वीकार किया है। अपीलान्ट ने अतिक्रमित भूमि से अपना कब्जा हटा लेने व भविष्य में पुनः कब्जा नहीं करने का शपथ पत्र पेश किया था जिसकी सत्यता की जांच हेतु नायब तहसीलदार धुंवाकला से उक्त भूमि पर कब्जा संबंधी मौका रिपोर्ट तलब की गई। नायब तहसीलदार ने मौका रिपोर्ट पत्र क्रमांक 122 दिनांक 27.03.2024 से प्रेषित की जिसमें अंकित किया हैं कि उक्त भूमि पर अतिक्रमण वर्तमान में हटा लिया गया है एवं वर्तमान में मौके पर किसी प्रकार का अतिक्रमण नहीं है। जांच रिपोर्ट से स्पष्ट होता हैं कि अपीलांट ने अतिक्रमित भूमि से अपना कब्जा हटा लिया है। अतः ऐसी स्थिति मे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय मे हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत होता है।

फलतः अपील अपीलाण्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार धुंवाकला के निर्णय दिनांक 16.01.2024 के जरिये की गई दोष सिद्धी एंव अर्थ दण्ड को यथावत रखा जाता है, परन्तु अपीलांट को दी गई सिविल कारावास की सजा अपास्त की जाती है। अपीलांट को हिदायत दी जाती हैं कि उसके द्वारा भविष्य में उक्त भूमि अथवा अन्य किसी सरकारी भूमि पर अतिक्रमण किया जाता हैं तो उसके विरूद्ध कठोर कानूनी कार्यवाही की जावेगी। प्रार्थना पत्र स्थगन खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 27.03.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुरेश चौधरी)
अति जिला कलेक्टर
टोंक